आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

विषय :–सहायतार्थ अनुदान (Grant-in-Aid) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संबंध में सूचना भिजवाए जाने के संबंध में।

संदर्भ:– महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान के पत्र क्रमांक टी.एम./यू.सी./के–26/विविधपत्राचार/2023–24/44 दिनांक 13.06.2024, 48 दिनांक 25.06.2024 एवं 61 दिनांक 02.08.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग की समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 29.06.2024 एवं 12.07.2024 द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर सहायतार्थ अनुदान (Grant-in-Aid) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों (Utilisation Certificates) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की सूचना संलग्न प्रोफार्मा में भिजवाने का आग्रह किया गया था। महालेखाकार कार्यालय ने अवगत करवाया है कि अधिकांश विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुलग्नक IV B के कॉलम 1 से 4(d) ग्रांट इन ऐड (Salary, General and Creation of Assests) से संबंधित सूचना ही प्रेषित की जा रही है जबकि महालेखाकार कार्यालय को अनुलग्नक IV B के कॉलम 5(a) से 6(e) एवं VIII की सूचना भी उपलब्ध करवायी जानी अपेक्षित है।

अतः महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय से प्राप्त प्रासंगिक पत्र दि. 02.08.2024 की छाया प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि अनुलग्नक IV B के कॉलम 5(a) से 6(e) एवं VIII से संबंधित सूचना समेकित रूप से संलग्न प्रोफार्मा में सीधे ही महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक वित्त (बजट)

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ.शा.टीप प.6(2)वित्त–1(1)आ.व्य./2022
जयपुर, दिनांक : 23 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

संख्या / No. टी.एम./यू.सी./के-26/विविध पत्राचार/2023-24/61

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

वित्त (बजट) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति क्रमांक 520
दिनांक 20/08/024

दिनांक / Date 02.08.2024

निदेशक (बजट),
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय : सहायतार्थ अनुदान (Grant-In-Aid) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों (Utilisation Certificates) के सम्बन्ध में सूचना भिजवाए जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : टी.एम./यू.सी./के-26/विविध/2023-24/20 एवं स्मरण पत्र दिनांक: 01.05.2024, दिनांक: 09.05.2024, 13.06.2024 एवं दिनांक: 25.06.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा सहायतार्थ अनुदानों (Grant-In-Aid) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों (Utilisation Certificates) के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 से सम्बंधित सूचना संलग्न प्रोफोर्मा में उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था ।

अनुलग्नक IV B के कॉलम 5(a) से 6(e) एवं VIII की सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है । यद्यपि आपके निर्देशानुसार अधिकांश विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुलग्नक IV B के कॉलम 1 से 4(d) ग्रांट इन ऐड (Salary, General and Creation of assets) से सम्बंधित सूचना प्रेषित की जा रही है जोकि इस कार्यालय को वांछनीय नहीं है ।

अनुलग्नक IV B के कॉलम 5(a) से 6(e) एवं VIII की सूचना जोकि सहायतार्थ अनुदानों के Direct Beneficiary Transfer (DBT) एवं Centrally Sponsored Schemes(CSS) में Centre and State Share से सम्बंधित है इसका डेटा इस कार्यालय में संधारित नहीं है इसकी समेकित सूचना (वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23) उपलब्ध करवाई जानी है ।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि अनुलग्नक IV B के कॉलम 5(a) से 6(e) एवं VIII से सम्बंधित सूचना समेकित (Consolidated) रूप से इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावे ताकि उसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को प्रेषित किया जा सके ।

संलग्न : अनुलग्नक IV-B एवं VIII

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उपमहालेखाकार (लेखे)

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141)2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.: (0141)2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

ANNEXURE IV-B

Details of Grants-in-Aid sanctioned for various categories for last two years and UC requirement thereof

Sl. No.	State	GIA-General			GIA-Salary			GIA for creation of Capital Assets				Grants for DBT			Grants for CSS				
		Total amount of Grant released (₹ in crore)	Whether UCs required as per Financial Rule/Code of the State	Please specify relevant rules of the State	Total amount of Grant released (₹ in crore)	Whether UCs required as per Financial Rule/Code of the State	Please specify relevant rules of the State	Total amount of Grant released (₹ in crore)	Whether UCs required as per Financial Rule/Code of the State	Please specify relevant rules of the State	Whether Rules provide for part adjustment of UCs	Total amount of Grant released (₹ in crore)	Whether UCs required as per Financial Rule/Code of the State	Please specify relevant rules of the State	Total amount of Grant released (₹ in crore)	Whether UCs are monitored with respect to CSS	Rule position for monitoring UCs for CSS	Whether UCs are monitored for whole amount (Both Central and State share)	Whether UCs are monitored only for the State share of the CSS
	1	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	6a	6b	6c	6d	6e
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Similar Proforma for two years 2021-22 and 2022-23

ANNEXURE VIII

Grant in Aid for CSS routed through DBT

Sl. No.	Total Amount of Grants in Aid given as DBT	Of the Total amount under GIA routed through DBT, please specify CSS and State Specific Scheme			
		Centrally Sponsered Scheme		State Governement Scheme	
		Name of the Scheme	Amount	Name of the Scheme	Amount
	1	2	3	4	5
	Note : The Total of Column 3 and 5 Should Match with Column 5a of the Table IVB				